

दिनांक	आज्ञा पत्र
21/5/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/स्पोडेट अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.5.24 को पेश हो। <i>Dr</i>
25/7/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/स्पोडेट अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.7.24 को पेश हो। <i>Dr</i>
27/8/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/स्पोडेट अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.8.24 को पेश हो। <i>Dr</i>
25/9/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/स्पोडेट अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.9.24 को पेश हो। <i>Dr</i>
24.10.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/स्पोडेट अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.11.24 को पेश हो। <i>Dr</i>
27.11.24	पत्रावली पेश। वकील अपील/स्पोडेट में उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपील/स्पोडेट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपील/स्पोडेट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल शुमार होकर नम्बर से कट होकर बाद तरती कमील दाखिल टकक हो। <i>Dr</i>



Not Press
b.1.10.24
12

प्रमुख अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)